

20/8/24 आज फखवली वाम्ने सुनवाई पेश हुई ।
 वकील पार्थी के द्वारा वार्द संख्या 115/2023
 को पुनः नम्बर पर लिपि लावने का निवेदन
 किया । सुनना वाम्ना । वार्द को पुनः नम्बर
 पर लिपि लावने का पार्थना पर स्वीकार किये
 पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर
 मूल वार्द संख्या 115/23 निर्णय दिनांक 17/05/24
 को पुनः नम्बर पर लिपि लाकर मूल
 वार्द दिनांक 17/10/24 को पेश हो । पार्थना
 पर रेगिस्ट्रेशन 09 Reg केशल सुझाए होकर
 मूल वार्द के सम्पन्न रहे ।



उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-बिजारा)